



१०८५

दस्तावेज़ 2286700  
2286710

नव चौमा कोन्स, १० जशांक भार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : १९४६(०) / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६

सेवा में

जिलाविकारी / अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद - मेरठ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा दूड़ा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आईएएसडीपी योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आनंदित की जा चुकी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रु ० में)					
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएएससी कोड	धनराशि		
सिडिकेट बैंक		IFSC Code		SYNB0008850	245.42
जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन से प्राप्त धनराशि के संपेक्ष वर्किंग कास्ट/लेबर सेस की धनराशि का प्रेषण		
1	2	3	वर्किंग कास्ट	लेबर सेस	कुल धनराशि
मेरठ / हसिलनापुर	अनु० ३७ पीएलए	३०६	२३५.४५	९.९७	२४५.४२
योग			२३५.४५	९.९७	२४५.४२

उपरोक्त अपमुक्त धनराशि का व्यय आईएएसडीपी योजनान्तर्गत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतियों में वर्णित मर्दों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। परियोजना की ढीपीआर में स्वीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है, स्थल पर उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्यवर्तन अनुमत्य न होगा। आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा परियोजना को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि मार्च 2015 निर्धारित थी जो व्यतीत हो चुकी है। भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को 10 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अपमुक्त करने से पूर्व दूड़ा द्वारा एम०आ०य०० कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न विनुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:-

- १- समस्त कार्य मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण करने होंगे।
- २- दिसम्बर 2015 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- ३- इस मूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- ४- उपलब्ध स्वीकृत धनराशि से समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।
- ५- निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अंशदान संशोधित दरों पर दूड़ा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

दिनांक: ००/अगस्त 2015



मुख्यालय— 2280709

2200010

नव घोला कोन्ट, 10 असांख नगर, लखनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- ६— कार्य पूर्ण होने ले उपरान्त केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार परियोजना की वलोजर रिपोर्ट अभिकरण मुख्यालय को सूडा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
- ७— सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यूएल०बी०) को करना होगा और उक्त का प्रभान पत्र सूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

भवदीप  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

#### पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

१. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
२. परियोजना अधिकारी—सूडा
३. परियोजना अधिकारी—सूडा
४. कम्युटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

लाल प्रताप सिंह  
वित्त नियन्त्रक